न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–40 / 2017–18

राज्य बनाम सुरेन्द्र यादव एवं अन्य

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
18.07.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 अंतर्गत प्रश्नगत वाद, अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पत्रांक–644 /उ0, दिनांक–18.05.2017 के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। अधिहरण प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि दिनांक–16.05.2017 को अलौली थाना व उत्पाद विभाग के संयुक्त छापामारी में अवैध विदेशी शराब अभियुक्त श्री सुरेन्द्र यादव पिता–स्व० छोटेलाल यादव, ग्राम–पड़री थाना–अलौली के घर से बरामद किया गया था। अधिहरण प्रस्ताव में यह भी अंकित है कि अभियुक्त सुरेन्द्र यादव के घर को सील बन्द कर दिया गया है तथा इसकी विडियोग्राफी भी कराई गई है। अभिलेख में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–30(ए) के अन्तर्गत गिरफ्तारी, जप्ती या तलाशी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन जप्ती का विवरण स्पष्ट है, जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को संपुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत् हैं :– जप्ती सूची के अनुसार घर में अवैध रूप से एक टीन के डिब्बे में 200 एम0एल0 का CASH Whishy का 18 बोतल अवैध विदेशी शराब 3.600 लीटर जिस पर For Sale in Punjab लिखा हुआ बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। साथ ही दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक–10.06.2017 एवं प्रभात खबर दिनांक–11.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा मकान के स्वामी सुरेन्द्र यादव, पे0– स्व0 छोटेलाल यादव, साकिन–पड़री, थाना–अलौली, प्रखंड–अलौली को निर्धारित तिथि दिनांक–13.06.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित किया गया। मकान के स्वामी सुरेन्द्र यादव द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.07.2017 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद में दिए गए चौहद्दी पूरे आवासीय परिसर का है जिसमें प्रतिवादी के अन्य गोतिया भी रहते है इस तरह विधिक रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा किये गये गुनाह का सजा किसी और को नहीं दिया जा सकता है क्योकि कोई भी कृत करने वाले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। उल्लेखनीय है कि इस वाद में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के पश्चात भी किसी अन्य हितबद्व व्यक्ति द्वारा पक्षकार बनाए जाने संम्बधी आवेदन नहीं दिया गया है इससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि या तो वास्तव में कोई अन्य हितबद्व व्यक्ति है ही नहीं अथवा उसकी इस कृत्य में सहमति है। उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया के संलग्न अधिहरण प्रस्ताव, उत्पाद निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान/भूखण्ड का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। उनके द्वारा	

अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। सुनवाई हेतु कारण–पृच्छा समर्पित किया गया तथा कारण–पृच्छा में दर्शाए गए तथ्य व कारण अस्वीकार्य है। अतः कारण–पृच्छा अस्वीकार किया जाता है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारेबार करना बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम के अर्न्तगत संज्ञेय अपराध है।

उभयपक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित रूप में आदेश दिया जाता हैं कि :–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जो उत्पाद अधीक्षक द्वारा सील बन्द किया हुआ है, तथा जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है–पश्चिम–रामउदगार यादव का मकान, पूरब–झिलू यादव का मकान, उत्तर–रामशंकर यादव का मकान, दक्षिण–राज कुमार यादव के मकान को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला घर किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58 (5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे सील बन्द मकान का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया
18/7/17

समाहर्त्ता,
खगड़िया
18/7/17